//विज्ञापन//

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के शासकीय बाल देखरेख संस्था में संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार शासकीय बाल देखरेख संस्था बाल संप्रेक्षण गृह दन्तेवाड़ा (बालक) में विभिन्न पदों क्रमषः– परामर्षदाता (01पद अना0), परिवीक्षा अधिकारी /बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर (01पद अजजा), हाउस मदर/हाउस फादर (01पद अजजा), रसोईया (01पद अना0), एवं हाउस कीपर (01पद अना0),के संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 25 जुलाई 2018 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र वेबसाईट **http://dantewada.gov.in** पर देखे जा सकते है ।

सचिव,
जिला बाल संरक्षण समिति दन्तेवाड़ा
एवं
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास, दंतेवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

//विज्ञापन//

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में कर्मचारीयों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 25 जुलाई 2018 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बाल देखरेख संस्था का नाम	Counselor	Probetion Officer/Child Welfare Officer/Case Worker	House Mother or House Father	Cook	House Keeper
एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह		17500६.	17500६.	11000६.	7500६.	6000६.
1	बाल संप्रेक्षण गृह दन्तेवाड़ा (बालक)	01	01	01	01	01
	पद की श्रेणी	अनारक्षित	अजजा	अजजा	अनारक्षित	अनारक्षित

उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है।

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगीः–

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
परामर्शदाता	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय अंर्तराष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन एवं बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख/संरक्षण/पुनर्वास/बाल कल्याण के क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्यानुभव। बालक/किशोर मामलों में कम से कम 2 वर्ष तक महिलाओं/बच्चों की काउंसलिंग के अनुभव वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।	अंग्रेज, हिन्दी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान।
परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषयों	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब	शासकीय/अर्द्धशासकीय अंर्तराष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख	अंग्रेजी एवं हिन्दी

अधिकारी / केस वर्कर	में स्नातकोत्तर अथवा विधि में स्नातक	आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन एवं बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्यानुभव– संप्रेक्षण गृह में विधि स्नातक तथा बाल गृहों में समाज विज्ञान / समाजशास्त्र के आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।	भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष हो
हाउस मदर / हाउस फादर	समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाज विज्ञान / विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस / वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय / अर्द्धशासकीय अंर्तराष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन एवं बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष हो
रसोईया	आंठवी पास	–	किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का रसोईया के रूप में कार्यानुभव	
हाउस कीपर	पांचवी पास	–	किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यानुभव।	

आवेदन पत्र जिले के वेबसाईट **www.dantewada.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किए जाए–

1. आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दन्तेवाड़ा को प्रस्तुत करना है।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2018 है।

प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तेः—

1. संविदा नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग /संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।
2. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नही होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी ।
3. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है । संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
4. आवेदक की आयु दिनांक 1 जुलाई 2018 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। महिला आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार उम्र में छुट की पात्रता होगी।
5. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथी तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए ।
7. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
8. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नही होगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नही दी जावेगी ।
11. उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें ।
12. आवेदक द्वारा लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया गया है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिए।
13. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नही होगा ।
14. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नही किए जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।
15. उक्त पद पर चयन की प्रकिया निम्नानुसार रहेगीः—

क्र0	पदनाम	चयन प्रक्रिया
1	1. परामर्शदाता 2. परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का ॅमपीजंहम देते हुए अधिकतम 70 अंक, 2. पीजीडीसीए या अन्य अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता के लिए 10 अंक। 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगें। अनुभव पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेगें। केवल परामर्शदाता अथवा बाल देखरेख एवं संरक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों के अनुभव का लाभ नहीं किदया जायेगा।
2	हाउस मदर/हाउस फादर	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का ॅमपीजंहम देते हुए अधिकतम 75 अंक, 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगें। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेगें।
3	रसोईया हाउस कीपर	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का ॅमपीजंहम देते हुए अधिकतम 50 अंक, 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगें। अनुभव पर अधिकतम 50 अंक दिये जायेगें।

16. **निर्धारित आर्हता के उम्मीदवार न मिलने पर आर्हता शिथिल करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।**
17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दन्तेवाड़ा के सूचना पटल एवं वेबसाईट **www.dantewada.gov.in** में देखे जा सकते है ।
18. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले आवेदकों को पृथक से सूचना नही दी जाएगी।
19. आवेदन दिनांक **25 जुलाई 2018 को सायं 5:00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय दंतेवाड़ा में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।**

सचिव,
जिला बाल संरक्षण समिति दन्तेवाड़ा एवं
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास, दंतेवाड़ा